

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- २५३१ /११-सी-FP/UP/Road/52116/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च २२, 2021

सेना में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-28 (नया एन०एच०-44) के किमी० सं०-0.0 से 3.0 तक चौड़ीकरण/फोरलेन में प्रभावित 4.20 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 344 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/52116/2020

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/३६/२०२१/एफ०सी०/१२६५, दिनांक-२३.०२.२०२१

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ने अपने पत्रांक-2667/33-1, दिनांक 18.03.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- २५३१ /११-सी-FP/UP/Road/52116/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।